

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 16, गुरुवार, शाके 1939-अप्रैल 6, 2017 <i>Chaitra 16, Thursday, Saka 1939-April 6, 2017</i>	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 06, 2017

संख्या एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/271 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम,1996 के नियम 162(2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग किसी भी सरकारी कार्यालय के भवन हेतु 500 वर्ग गज तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा, 500 से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से एवं 1000 वर्ग गज से अधिक भूमि का निःशुल्क आवंटन संबंधित जिला परिषद की पूर्वानुमति से किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार,
शासन सचिव एवं आयुक्त।

3

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।